संख्या-26/2026/001-ई-4221911/60-3-2026-सी-1692910

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2026

विषय:- मिशन शक्ति की उपयोजना "संबल" के अन्तर्गत संचालित 181-वूमेन हेल्पलाइन के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा प्राप्त द्वितीय मदर सैंक्शन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-576/निदे0म0क0/अनु0/181-डब्ल्यूएचएल/ 2026-27, दिनांक 14.07.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो मिशन शक्ति की उपयोजना "संबल" के अन्तर्गत संचालित 181- वूमेन हेल्पलाइन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये अनुदान संख्या-49 में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-04-महिला हेल्पलाइन (के.100+रा.00-के.+रा.) के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 125.00 लाख (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 20,70,000/- (रू0 बीस लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन शक्ति की उपयोजना "संबल" के अन्तर्गत संचालित 181- वूमेन हेल्पलाइन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये अनुदान संख्या-49 में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-04-महिला हेल्पलाइन (के.100+रा.00-के.+रा.) के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 125.00 लाख (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 19.05.2026 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 10,35,000/- (रू0 दस लाख पैतीस हजार मात्र) के निर्गतोपरान्त अवशेष धनराशि रू0 114.65 लाख में से भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 20,70,000/- (रू0 बीस लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की पुनरावृत्ति न हो।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/मानकों/ दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(5) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसीअन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमतः कार्यवाही कर अवगत करायें।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(10) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त, केवल प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य धनराशि तथा उसके संगत राज्यांश की धनराशि ही योजना के एस.एन.ए.एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी।

(11) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर केन्द्रांश प्राप्त किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही में केन्द्रांश प्राप्त होने में विलम्ब की दशा में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाय, जिसका वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाय, अन्यथा वित्तीय वर्ष के अन्त में एस.एन.ए. खाते मे राज्यांश की अवशेष अव्ययित धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अवमुक्त राज्यांश के सापेक्ष संगत केन्द्रांश कम प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिक अवमुक्त राज्यांश की धनराशि को समायोजित करते हुये वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेंगी।

(12) पी.एफ.एम.एस. डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F-No-1(13)PFMS/FCD.2020, दिनाँक 23 मार्च, 2021 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के सम्बन्ध में दिनाँक 01 जुलाई, 2021 से एस.एन.ए. माड्यूल लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, उक्त योजनाओं के संगत राज्यांश पर भी लागू होंगे, जिसका सम्पूर्ण अनुपालन का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(13) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखेजाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारीकी स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(14) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वालीधनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित कीजाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर पर एकमुश्त धनराशिका आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(15) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगतवर्षों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का यह दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार/अन्य संस्थाओं को आवश्यक अभिलेखों सहित प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

(16) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(17) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों /घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(18) समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अत: SNA स्तर पर पुन: परीक्षण की आवश्कता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।

(19) केन्द्रपुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि सीधे योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में खुले खाते में प्राप्त होगी। अतएव इन योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त विभाग से कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अत: योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,70,000/- (रुपये बीस लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021030204 महिला हेल्पनलाईन (के.100/रा.0-के.) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-75-X-2026-27 दिनांक: 04-08-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-26/2026/001-ई-4221911/60-3-2026-सी-1692910, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।